

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

तारीख  
हुक्म

गिन्धी लाल

बनाम

मु.नं.

2152/2014 (घवा)

अनिर्णय रूप से पेश की अधिका प्यावली वंटकर  
की जायेगी / जापली वाले नलकी डिवाइस 26.12.24  
को पेश की है

उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)

26.12.24 जापली पेश हुई वहील वडी अधिका  
जापली प्रॉड्यूसर वाले नलकी डिवाइस 28.1.25  
को पेश की है

उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)

28.1.25 जापली पेश हुई पक्षकारान को धार-2  
आपज दिलाई गई) इमथ पक्ष अनुपस्थित रहे)  
जापली में वादी को धार-2 निर्देशों के बावजूद  
निर्देशों की अनुपालना की जाती रही है। पत्रावली में सभी  
समय से वादी द्वारा प्रतियादीसं. 01/07/07 के तलबना  
सम्मत पेश नहीं किए जा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि  
वादी जापली से कोई आपवाही के इच्छुक नहीं है।  
जापली पक्षकारान की अधिन हाजरी व अधिन पेशी  
में खारिज की जाती है। जापली कुलाल शुभार घुमार  
काखिल इम्फर की है